

कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ

पत्रांक 361/नक्शा/नि0वि0/जि0प0/2021-2022

श्री नरेश कुमार अग्रवाल

ग्रामसभा अनौरा,

विकास खण्ड चिनहट

जनपद लखनऊ



दिनांक 27 जुलाई, 2021

आपके प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर समस्त विचारोपरान्त मा0 अध्यक्ष जी के आदेश दिनांक 23.07.2021 के परिपालन में मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आप द्वारा पूर्व में प्रस्तुत कार्यालय पत्र संख्या 728 दिनांक 20 अक्टूबर 2014 एवं कार्यालय पत्र संख्या 844 दिनांक 15 अप्रैल 2015 को निरस्त करते संशोधित मानचित्र ग्रामसभा अनौरा, विकास खण्ड चिनहट जनपद लखनऊ में रोहउसिंग भवन निर्माण कार्य कराये हेतु खसरा संख्या 306, 307, 303 प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार 26562.07 वर्गमीटर में भवनों का निर्माण कार्य की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों सहित दी जाती है।

1-प्रस्तावित भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय तथा निर्माणाधीन अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री मार्ग पर एकत्र न की जाये।

2-जल-मल की निकासी मार्ग की ओर न की जाये।

3-मुख्य मार्ग के मध्य से बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिवधित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कंट्रोल रूल्स 1965 के नियम-7 यथावत् लागू रहेंगे।

4-प्रतिबन्ध रहेगा कि रोहउसिंग भवन का निर्माण कार्य 26562.07 वर्गमीटर का निर्माण कार्य कराया जाये।

5-प्रतिबन्ध रहेगा कि मानचित्र में दर्शित ऐनवाटर हारवेस्टिंग आदि कार्य कराया जाना आवश्यक होगा।

6-प्रतिबन्ध रहेगा कि एसटी, सड़कें, विद्युत, ड्राइंग इत्यादि की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।

6-प्रतिबन्ध रहेगा कि अग्नि शमन विभाग द्वारा व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

8-प्रतिबन्ध रहेगा कि नियमानुसार सैटफ्रंट एवं बैकफ्रंट छोड़ा जाना अनिवार्य होगा।

9-प्रतिबन्ध रहेगा कि नगर नियम अथवा लखनऊ विकास प्राधिकरण आने की स्थिति में जिला पंचायत, लखनऊ की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

10-प्रतिबन्ध रहेगा कि दो वर्ष के अन्दर कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

बिना किसी पूर्व सूचना के नक्शे/भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्धन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्धन/परिवर्धन भवन/मानचित्र में प्रस्तावित है, तो जिला पंचायत लखनऊ से स्वीकार किये बिना परिवर्धन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा। गू-स्वामित्व एवं किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जिला पंचायत, लखनऊ उत्तरदायी नहीं होगी।

अनुमोदित मानचित्र किसी भी दशा में स्वामित्व का अभिलेख नहीं माना जायेगा।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, लखनऊ।

प्रतिलिपि-1-उपश्रमायुक्त, श्रम कार्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2-सचिव, रेशा उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, लखनऊ।

जिला पंचायत लखनऊ के सेवाधिकार के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले पक्के मकानों, दुकानों अथवा किसी प्रकार के निर्माण कार्य का नियन्त्रित करने हेतु जो प्रो क्षेत्र समिति अथवा जिला परिषद अधिनियम 1961 की धारा 236 (2) के अन्तर्गत बनाये गये उपनियम सं० 4492-1/2/ए० (92-33) दिनांक 18-05-1986 में जो प्रो क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1981 (अधिनियम सं० 13) पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 1994 (जो प्रो अधिनियम सं० 3) सन् 1994 के अन्तर्गत संशोधित धारा- 143 के साथ पठित धारा- 145 एवं 236 (2) में ब्रिटिश अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत लखनऊ संशोधन उपनियम सं० में निम्नलिखित सीमा तक संशोधन करती है :-

स्तम्भ-1

प्रवर्तित उपनियम

1- कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप, फर्म या अन्य सत्त्वा, राजकीय विभाग डेक्रेटार जिला परिषद, लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में नोटीफाइड एरिया या टाऊन एरिया क्षेत्रों को छोड़कर आवासीय भवन, व्यापार हेतु जनहितार्थ अपनी निजी, किसी घर ली गयी अथवा किसी क्षेत्रीय सत्त्वा की भूमि पर जिला परिषद, लखनऊ से बिना पूर्व आज्ञा (अनुमति) प्राप्त किये न ही नया भवन निर्माण कर सकता है और न पुराने भवन में फेर बदल कर सकता है। यह नियम मोरों के कच्चे मकानों 0.82 वर्ग मीटर व्यापार क्षेत्रफल (Plinth Area) के मकानों जो केवल ग्रामीण आबादी में बनें, लागू न होगा। ग्रामीण आबादी के अतिरिक्त सभी क्षेत्र नियन्त्रित क्षेत्र कहलायेगा।

परिवर्तन या परिवर्धन

2- ग्रामीण क्षेत्रों में नये निर्माण और पुराने में परिवर्तन या परिवर्धन के कम से कम 3 माह पूर्व भूमि का मालिक, स्वयंसेवक, जिला परिषद को उक्त निर्माण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। इस आवेदन के साथ निम्नलिखित पत्रादि और सूचनाएँ भी संलग्न :-
(क) स्थल का नक्शा - इस नक्शे का पैमाना एक मीटर बराबर एक सेंटीमीटर होगा।
(ख) स्थल को सीमाएँ घासी ओर की ओर उनके नाम तथा समीपवर्ती भूमि का स्थिति चित्रण और भूमि मालिकों के नाम।

स्तम्भ-2

प्रतिस्थापित उपनियम

1- कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप, फर्म, प्रतिष्ठान अथवा शैक्षिक सत्त्वा, अस्पताल (नर्सिंग होम) या राजकीय निर्माण एवं जिला पंचायत को लेकदार अथवा सम्धारण, नोटीफाइड एरिया, टाऊन एरिया (नगर पंचायत) तथा नगर निगम की सीमा के बाहर, जिला पंचायत, लखनऊ की ग्रामीण सीमा के अन्दर जिला पंचायत, लखनऊ से नया भवन/वस्ती, पास/लगाव करके बिना किसी भी प्रकार के भवन, प्रतिष्ठान या औद्योगिक इकाई का नया निर्माण एवं न ही पुराने निर्माण में कोई परिवर्तन एवं फेरबदल कर सकता है। यह नियम मोरों के कच्चे मकानों व 80 वर्ग मीटर (861 वर्ग फुट) व्यापार क्षेत्रफल (Plinth Area) के मकानों जो केवल ग्रामीण आबादी में बने हों के क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्र नियन्त्रित क्षेत्र कहलायेगा।

परिवर्तन या परिवर्धन

2- ग्रामीण क्षेत्र में नये निर्माण या पुराने भवन में परिवर्तन या परिवर्धन के कम से कम 3 माह पूर्व भूमि स्वामी अथवा मुख्य अधिकारी को उक्त प्रस्तावित निर्माण, परिवर्तन या परिवर्धन के लिये एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। उक्त आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित पत्रादि संलग्न करेंगे एवं भवन चित्र/नक्शा, स्वीकृत/पास करने के अनिवार्य सभी गैर बांझ भूमि सूचना भी देगा :-

(ग) समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गों का विवरण तथा निर्माणधीन भवन से दूरी।

(घ) राज्य मार्ग से निर्माणधीन स्थल की दूरी मार्ग के मध्य से 67.10 मीटर और समक मूल से अथवा गलियारे से 10 मीटर होना आवश्यक है।

(ङ) स्थल के नक्शे के साथ भूमि के स्वामित्व का प्रमाण पत्र सेले डी (टिकय-विलेख) ड्रॉइंग्स (हस्तांतरण विलेख) तथा प्रोजेक्ट डाक्यूमेंट (मन्युस्क्रिप्ट अथवा रजिटर पत्रादि) तथा लेखपाल से स्थल का इतिहास जैसी भी स्थिति हो संलग्न किया जायेगा।

3- प्रस्तावित भवन का नक्शा वर्गित पैमाने के अनुसार :-

(अ) प्रत्येक भूजिल के ठंडे हुए भाग का नक्शा विवरण सहित जैसे दरवाजे, छिदनी, रोहनुदान, जीना आदि ठीक-ठाक स्थिति।

(ब) नक्शा नवीन का नाम व पता

(स) भवन का उद्देश्य :-

- 1- निजी आवास के लिये
- 2- व्यवसाय व्यापार के लिये
- 3- रहने या दुकान के लिये किसानों पर देने के लिये
- 4- जनहितार्थ है तो विवरण
- 5- अन्य कार्य हेतु विवरण दिया जाये

4- निर्माण की स्वीकृति, परिच्छेद द्वारा पूर्व प्रार्थना पत्र प्राप्त के तीन मास के अन्दर दिये जाने के छः मास के अन्दर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना होगा। यदि किसी कारण निर्माण कार्य उल्टा निर्धारित अवधि में प्रारम्भ नहीं हुआ है। तो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अध्यक्ष पुनः विचार कर कार्य प्रारम्भ करने की अवधि बढ़ा सकता है।

5- निर्माण की स्वीकृति दिये जाने के उपरान्त अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी किसी समय यह संतुष्टि हो जाये कि प्रार्थी द्वारा इस उपनियम के खण्ड- 2.3 में दी गयी सूचना अथवा नक्शे में मूल विवरण दिया गया था तो अध्यक्ष ती गयी अनुमति को प्राप्त कर सकता है और किया गया कार्य बिना अनुमति के माना जायेगा और तोड़ जा सकता है।

(क) प्रस्तावित निर्माण, परिवर्तन या परिवर्धन के नक्शे को इन उपनियमों में वर्णित स्थलों, कमरों एवं अन्य निर्माण तथा उपनियमों में उल्लेखित मानक अनुसार प्रस्तावित निर्माण कार्य को दर्शायेगा। नियमानुसार प्रस्तावित निर्माण का भवन चित्र/नक्शा तीन प्रतियों में कार्यलय जिला मंचायत में प्रस्तुत करेगा। इस निमित्त भवन चित्र प्रस्तुत करने का शुल्क रुपये 200/- जमा करके रसीद साथ में संलग्न करेगा।

(ख) प्रस्तावित निर्माण स्थल की सीमा और उनके नाम तथा समीपवर्ती भूमि का सचिप विवरण एवं भूमि स्वामी के नाम का भी प्रस्तावित भवन चित्र/नक्शे में उल्लेख करेगा।

(ग) समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गों का विवरण अथवा निर्माण स्थल से दूरी भी, भवन चित्र/नक्शे में दर्शायेगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण स्थल की राज्यमार्ग से दूरी के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग का अनापूर्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(ङ) प्रस्तावित भवन चित्र/नक्शे के साथ निर्माण स्थल की भू-स्वामित्व के सम्बन्ध में निम्नलिखित विलेख/दस्तावेज मान्य होंगे।

(I) पंजीकृत टिकय-विलेख (रजिस्टर्ड सेल डीउ)

(II) पंजीकृत वसीयत -

(III) पंजीकृत दान विलेख (गिफ्ट डीउ)

(IV) इस्तखार/बध्द वारिक खेतीनी जो 3 मास से अधिक पूर्व निर्गत न की गयी हो।

(V) प्रोजेक्ट डाक्यूमेंट

(घ) कृषि योग्य भूमि को अकृषि योग्य भूमि में परिवर्तित होने का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र को भवन चित्र/नक्शे के साथ संलग्न करना होगा।

(ङ) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि के हस्तांतरण के सम्बन्ध में कानूनी प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

(ज) ऐसी भूमि जिसका कवर्ड ऐरिया अधिक न होकर आकाशित ऐरिया अधिक होगा। उसकी सीमा आकाशित भूमि के आधार पर की जायेगी। जिसकी दर 6/- करण प्रति वर्ग मीटर होगी।

शेष पृष्ठ 3 पर

6- यदि भवन की चौड़ाई सड़क या सड़क की ओर स्थित है तो भवन को सम्पूर्ण अगले भाग में कम से कम 1.21 मीटर जगह छोड़नी पड़ेगी। यदि भवन का प्रवेश भाग सड़क या आवासीय क्षेत्र में दिये गये मार्क आदि के लिए खाली जगह की ओर जाने वाली गली या सड़क या रास्ते पर है तो भी 1.50 मीटर जगह छोड़नी पड़ेगी।

7- कोई भवन आवास एवं जन हितार्थ बनाया जायेगा तो निर्माणकर्ता को लिए आवश्यक होगा कि वह आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक शौच ग्रह तथा स्वास्थ्य सुविधाएं जन स्वास्थ्य नियमावली के आधार पर बनायेगा।

(क) किसी शौच ग्रह को सड़क अथवा गली की ओर खुला रहने की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

(ख) नौटालस इस प्रकार का होगा चाहिए जिसमें मल आदि की सफाई की पर्याप्त व्यवस्था हो।

8- किसी भवन की कुर्सी भवन के निकट गली, सड़क आदि से या खुले स्थान की सड़क से कम से कम 30 सेमी० ऊँची होगी।

9- किसी भवन में मंजिल का शायद्वं उन एक या एक से अधिक कमरों से हैं, जिनके पक्ष और छत लगभग समान ऊँचाई के हों।

10- एक से अधिक मंजिल के लिए जाने की चौड़ाई 90 सेमी० से कम नहीं होनी चाहिए, जिसमें शेरनी आदि की समुचित व्यवस्था होनी आवश्यक है।

11- अधिकार को अधिकार होगा कि वह नक्शे को उसी प्रकार स्वीकार करे हैं अथवा उसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन करके स्वीकार करे।

12- इन उपविधियों के अन्तर्गत भवन इत्यादि निर्माण कार्यों के लिए प्रदान की गयी आज्ञा केवल निर्माण के लिए होगी और कथित भूमि की सम्पत्ति पर कोई धक्का नहीं पड़ेगा।

13- इन उपविधियों के अन्तर्गत निर्माण पुनः निर्माण या परिवर्तन के प्रार्थना-पत्र के साथ इन उपविधि में ही गयी दर से शुल्क जमा करना होगा और इस जमा की रसीद प्रार्थना-पत्र मान्य होवेगा।

14- लाईसेन्सधारी ड्राफ्टमैन अथवा अर्षीटेक्ट द्वारा बनाये गये नक्शे ही मान्य होंगे।

15- किसी व्यक्ति द्वारा इन उपविधियों की किसी भी धारा के उल्लंघन किये जाने पर वह जिला परिषद, संसद के अध्यक्ष की अधिकार होगा कि वह अनियोज- पत्र, जिला

2- प्रस्तावित निर्माण का नक्शा निम्नानुसार होगा -

(त) प्रत्येक मंजिल में दूकें हुए भाग का नक्शा विवरण सहित खिड़की, दरवाजे, तैलानदान, छाना आदि की ठीक-ठाक स्थिति दर्शायी जानी चाहिए।

(ध) नक्शा नवीन का नाम व पता

(द) यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि निर्माण जो प्रस्तावित है वह आवासीय भाग है या व्यावसायिक प्रतिष्ठान अथवा औद्योगिक इकाई।

(घ) प्रस्तावित निर्माण जनहितार्थ है तो उसका विवरण

4- प्रस्तावित निर्माण का नक्शा/भवन चित्र पास/स्वीकृत किये जाने के एक वर्ष में पास/स्वीकृत नक्शा/भवन चित्र के अनुसार निर्माण करा लिया जाना चाहिए। यदि किसी कारणों से इस उपनियम में निर्धारित समय सीमा में निर्माण नहीं कराया जा सके है तो प्रार्थना पत्र देने पर स्वीकृत निर्माण को पूरा करने की समय सीमा को विस्तारोपसृत अपर मुख्य अधिकारी बसा सकता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी भी काम में दो वर्ष से अधिक नहीं होगा। स्वीकृत के दिनांक से 2 वर्ष बाद नक्शा/भवन चित्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

5- प्रस्तावित नक्शा/भवन चित्र पास/स्वीकृत किये जाने के तपसना अपर मुख्य अधिकारी को यह सम्पन्न हो जाय कि धनवी द्वारा इस उपनियम के खण्ड- 2.3 में दी गयी सूचना ऊबरा नक्शे में गलत विवरण दिया गया था। तो इस उपनियम के अन्तर्गत नक्शा/भवन चित्र पास/स्वीकृत को बिना अनुमति के माना जायेगा। और ऐसे निर्माण को आदेश द्वारा अवैध घोषित करके उसे तोड़करा जा सकेगा।

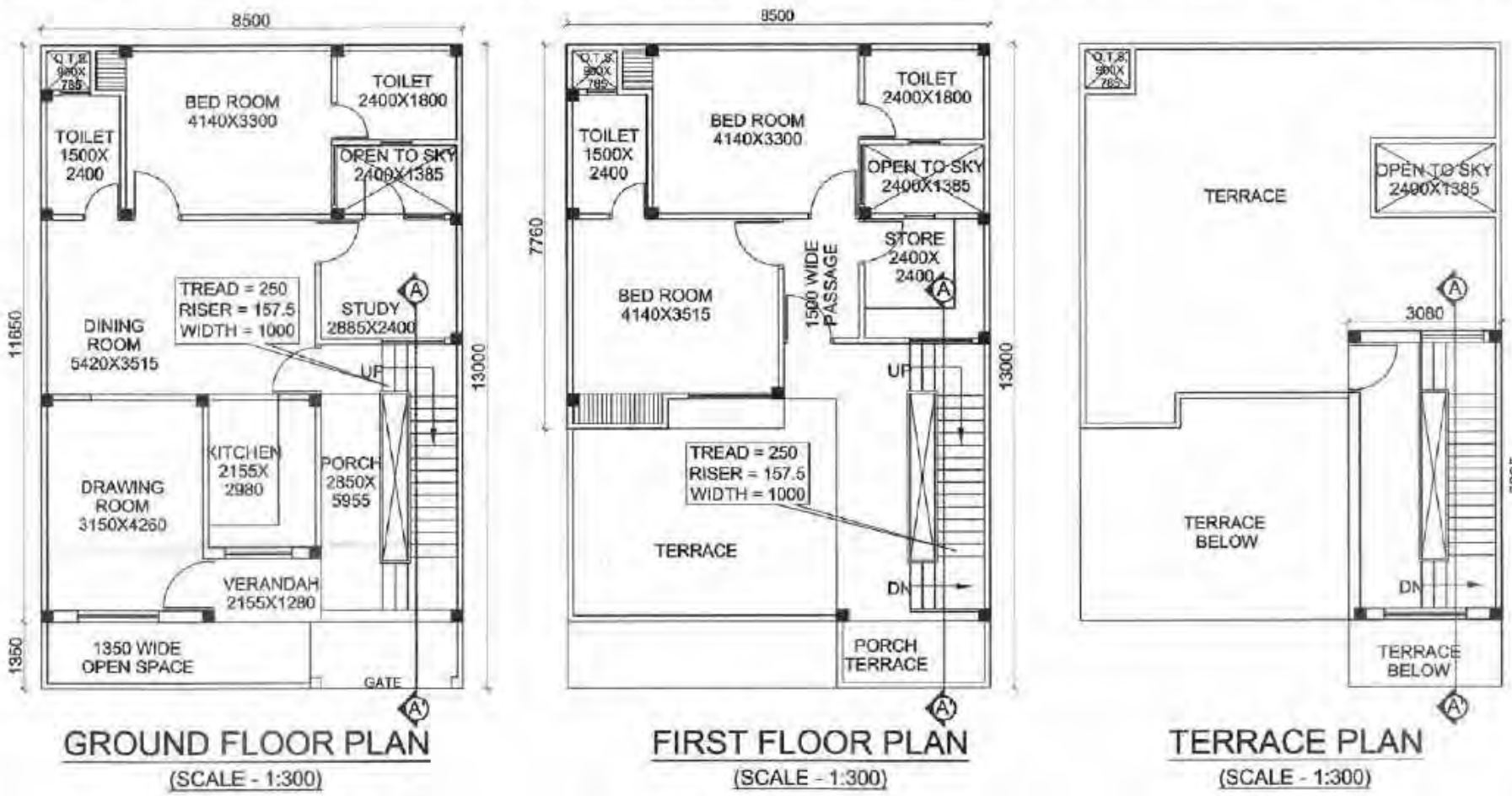
(अ) अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्वीकृत भवन चित्र/पार नक्शा स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा।

6- यदि भवन का मुख्य प्रवेश भाग सड़क या सड़क की ओर खुला हो तो भवन के मुख्य प्रवेश भाग से सड़क या सड़क के मध्य 1.21 मीटर की जगह (सैटबैक) छोड़ना आवश्यक होगा। यदि भवन के मुख्य प्रवेश भाग के सामने सड़क या आवासीय क्षेत्र में मार्क प्रस्तावित या स्थित हो अथवा मार्क तथा सड़क पर जाने वाली गली हो तो भी 1.50 मीटर की जगह छोड़नी पड़ेगी।

7- कोई भवन अथवा आवास जनहितार्थ निर्मित कराया जायेगा तो निर्माणकर्ता को आवश्यक होगा कि वह आवश्यकता अनुसार एक या एक से अधिक शौचालय तथा स्नान क्षेत्र बनाए।

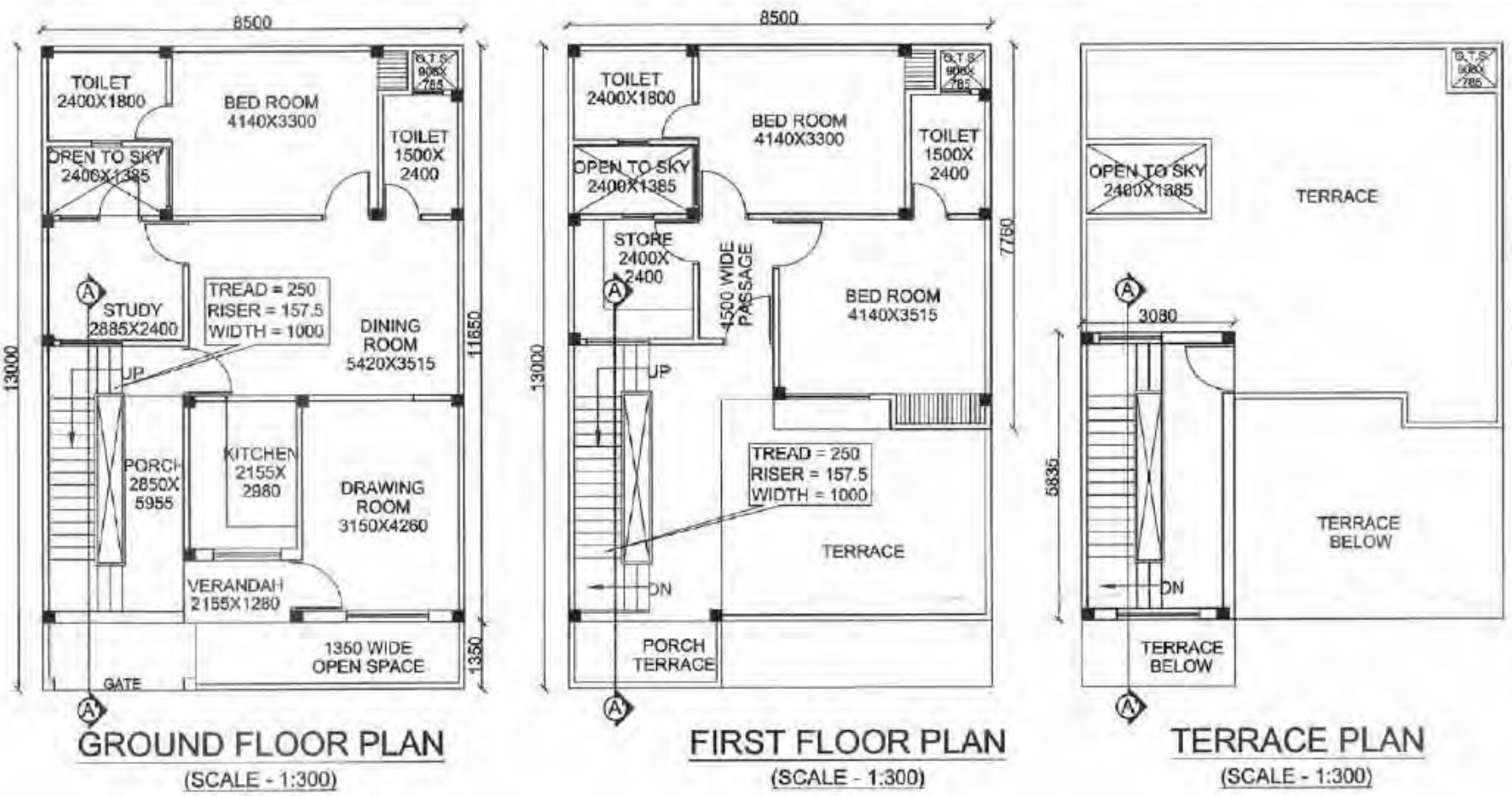
NOTE : AS PER LOCATION, ENTRY OF RESIDENCE CAN BE FROM LEFT OR RIGHT SIDE

ROW HOUSE PLAN (TENTATIVE) FOR PLOT NOS. 1 TO 12

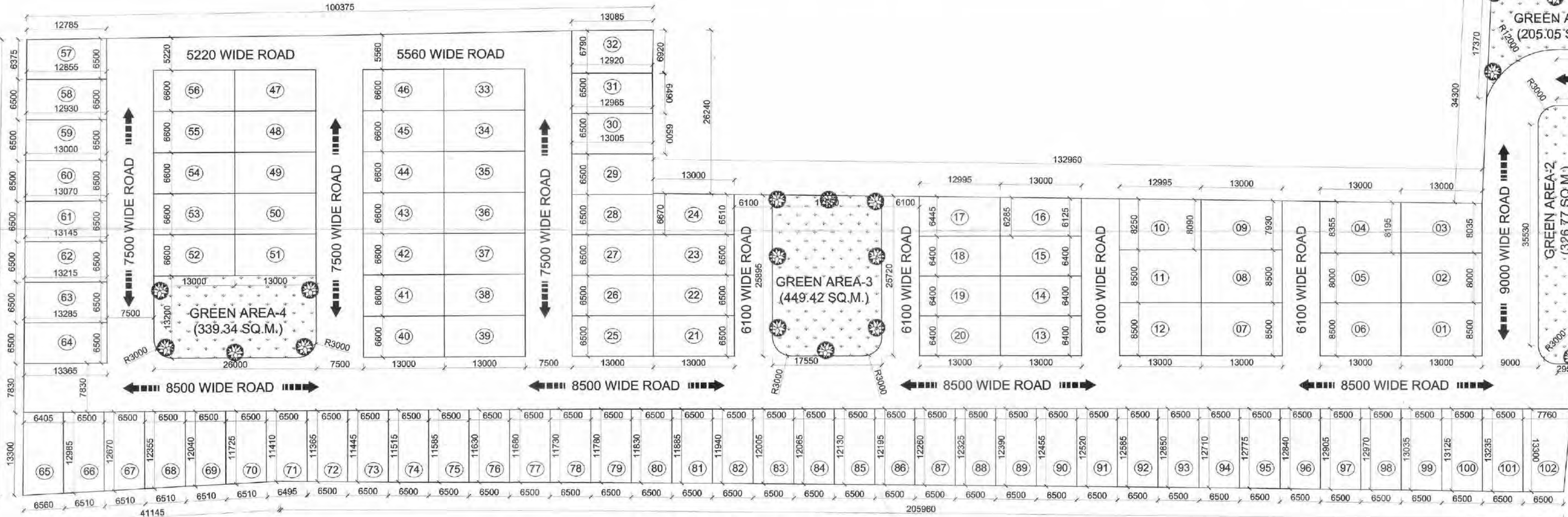


TYPICAL ROW HOUSE-01
PLOT AREA = 110.50 SQ.M.
PLOT SIZE = 8500X13000

ROW HOUSE PLAN (TENTATIVE) FOR PLOT NOS. 1 TO 12



TYPICAL ROW HOUSE-01
PLOT AREA = 110.50 SQ.M.
PLOT SIZE = 8500X13000



PLOTTING LAYOUT PLAN
SCALE - 1:400

PLOT AREA STATEMENT					
Plot No.	L	B	AREA	Unit	Nos.
1	13.000	8.500	110.50	SQ.M.	1
2	13.000	8.000	104.00	SQ.M.	1
3	-	-	105.48	SQ.M.	1
4	-	-	107.56	SQ.M.	1
5	13.000	8.000	104.00	SQ.M.	1
6 to 8	13.000	8.500	110.50	SQ.M.	3
9	-	-	104.11	SQ.M.	1
10	-	-	106.19	SQ.M.	1
11 to 12	13.000	8.500	110.50	SQ.M.	2
13 to 15	13.000	6.400	83.20	SQ.M.	3
16	-	-	80.64	SQ.M.	1
17	-	-	82.72	SQ.M.	1
18 to 20	13.000	6.400	83.20	SQ.M.	3
21 to 23	13.000	6.500	84.50	SQ.M.	3
24	-	-	85.65	SQ.M.	1
25 to 29	13.000	6.500	84.50	SQ.M.	5
30	-	-	84.39	SQ.M.	1
31	-	-	84.13	SQ.M.	1
32	-	-	89.17	SQ.M.	1
33 to 56	13.000	6.600	85.80	SQ.M.	24
57	-	-	82.57	SQ.M.	1
58	-	-	83.80	SQ.M.	1
59	-	-	84.27	SQ.M.	1
60	-	-	84.73	SQ.M.	1
61	-	-	85.20	SQ.M.	1
62	-	-	85.66	SQ.M.	1
63	-	-	86.12	SQ.M.	1
64	-	-	86.59	SQ.M.	1
65	-	-	85.10	SQ.M.	1
66	-	-	83.37	SQ.M.	1
67	-	-	81.32	SQ.M.	1
68	-	-	79.28	SQ.M.	1

69	-	-	77.23	SQ.M.	1
70	-	-	75.19	SQ.M.	1
71	-	-	73.74	SQ.M.	1
72	-	-	74.13	SQ.M.	1
73	-	-	74.65	SQ.M.	1
74	-	-	75.12	SQ.M.	1
75	-	-	75.45	SQ.M.	1
76	-	-	75.76	SQ.M.	1
77	-	-	76.07	SQ.M.	1
78	-	-	76.39	SQ.M.	1
79	-	-	76.73	SQ.M.	1
80	-	-	77.07	SQ.M.	1
81	-	-	77.42	SQ.M.	1
82	-	-	77.81	SQ.M.	1
83	-	-	78.23	SQ.M.	1
84	-	-	78.65	SQ.M.	1
85	-	-	79.06	SQ.M.	1
86	-	-	79.48	SQ.M.	1
87	-	-	79.90	SQ.M.	1
88	-	-	80.32	SQ.M.	1
89	-	-	80.74	SQ.M.	1
90	-	-	81.16	SQ.M.	1
91	-	-	81.58	SQ.M.	1
92	-	-	82.00	SQ.M.	1
93	-	-	82.42	SQ.M.	1
94	-	-	82.84	SQ.M.	1
95	-	-	83.26	SQ.M.	1
96	-	-	83.67	SQ.M.	1
97	-	-	84.09	SQ.M.	1
98	-	-	84.51	SQ.M.	1
99	-	-	84.99	SQ.M.	1
100	-	-	85.68	SQ.M.	1
101	-	-	86.33	SQ.M.	1
102	-	-	94.82	SQ.M.	1
TOTAL					102



KEY PLAN
SCALE - NTS

PROJECT :
PROPOSED PLOTTING CUM
ROW HOUSE FOR
Mr. NARESH KUMAR AGRAWAL
S/O LATE Mr. R. L. AGRAWAL
ON KHASRA NO. 306, 307 & 313 AT
VILLAGE - ANAURA
VIKAS KHAND-CHINHAT,
TEHSIL - SADAR, LUCKNOW

AREA STATEMENT

TOTAL LAND AREA : 14150.00 SQ.M.
TOTAL PLOTTED RESIDENTIAL AREA : 8759.94 SQ.M.
GREEN AREA : 205.05 SQ.M.
GREEN AREA -01 : 205.05 SQ.M.
GREEN AREA -02 : 326.77 SQ.M.
GREEN AREA -03 : 449.42 SQ.M.
GREEN AREA -04 : 339.34 SQ.M.
TOTAL GREEN AREA : 1320.58 SQ.M.

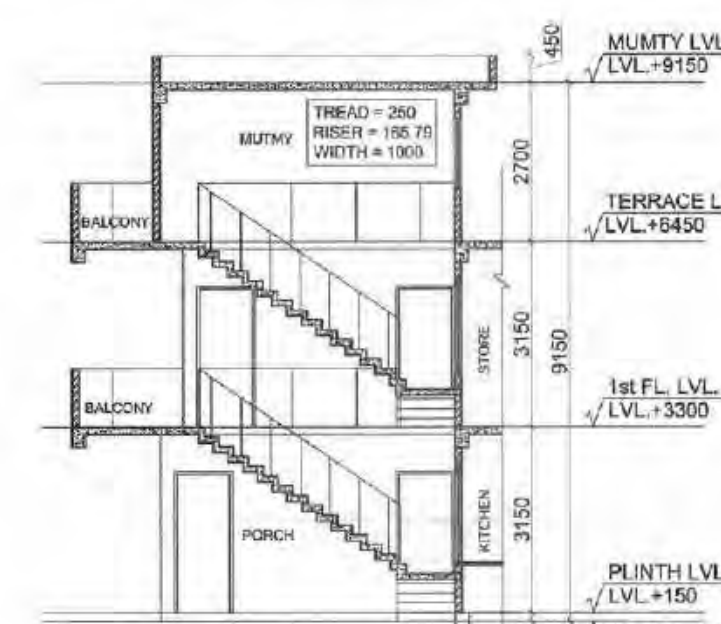
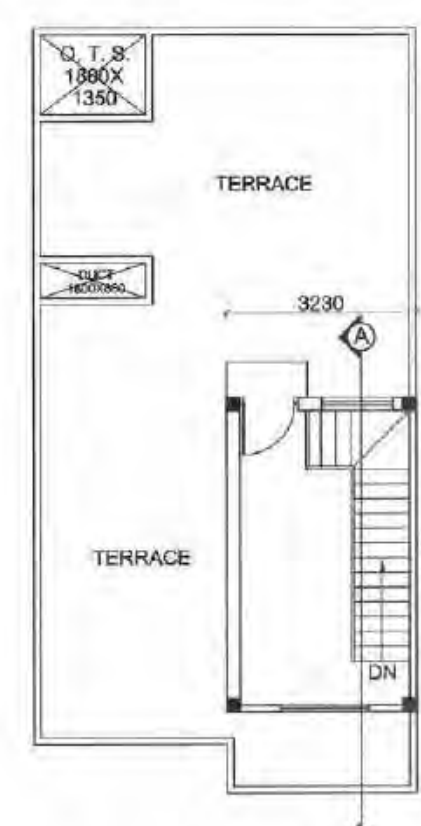
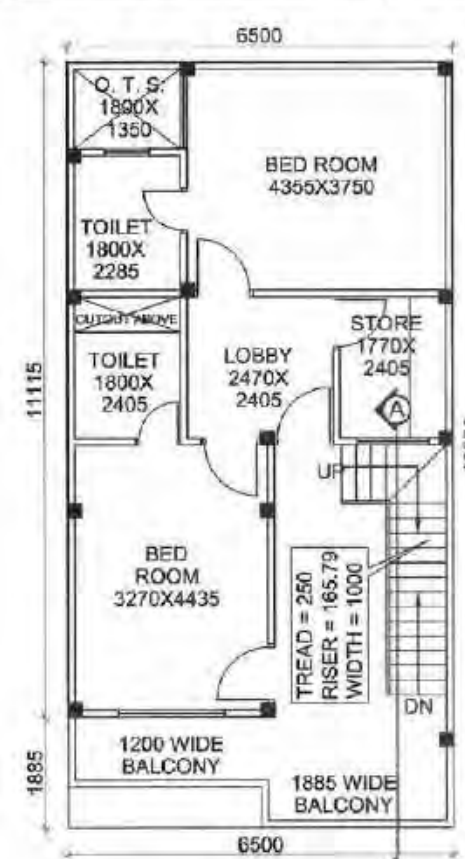
ROW HOUSE - 01 (12 NUMBERS)
PLOT AREA (110.50 SQ.M.)
BUILT-UP AREA ON GROUND FLOOR : 98.79 SQ.M.
BUILT-UP AREA ON FIRST FLOOR : 71.51 SQ.M.
BUILT-UP AREA OF MUMTY : 17.97 SQ.M.
TOTAL BUILT-UP AREA ON ALL FLOORS : 188.27 SQ.M.
ROW HOUSE - 02 (65 NUMBERS)
PLOT AREA (84.50 SQ.M.)
BUILT-UP AREA ON GROUND FLOOR : 79.45 SQ.M.
BUILT-UP AREA ON FIRST FLOOR : 79.45 SQ.M.
BUILT-UP AREA OF MUMTY : 17.26 SQ.M.
TOTAL BUILT-UP AREA ON ALL FLOORS : 176.16 SQ.M.
ROW HOUSE - 03 (07 NUMBERS)
PLOT AREA (81.16 SQ.M.)
BUILT-UP AREA ON GROUND FLOOR : 76.39 SQ.M.
BUILT-UP AREA ON FIRST FLOOR : 76.39 SQ.M.
BUILT-UP AREA OF MUMTY : 17.09 SQ.M.
TOTAL BUILT-UP AREA ON ALL FLOORS : 169.87 SQ.M.
ROW HOUSE - 04 (18 NUMBERS)
PLOT AREA (76.39 SQ.M.)
BUILT-UP AREA ON GROUND FLOOR : 72.27 SQ.M.
BUILT-UP AREA ON FIRST FLOOR : 72.27 SQ.M.
BUILT-UP AREA OF MUMTY : 16.76 SQ.M.
TOTAL BUILT-UP AREA ON ALL FLOORS : 161.30 SQ.M.
TOTAL COVERED AREA OF ALL ROW HOUSES :
ROW HOUSE-1 X 12+ROW HOUSE-2 X 65+ROW HOUSE-3
X 7 +ROW HOUSE-4 X 18
= 188.27 X 12 + 176.16 X 65 + 169.87 X 7 + 161.30 X 18
= 2259.24 + 11450.40 + 1189.09 + 2903.40
= 17802.13 SQ.M.

DRG. TITLE:
PLOTTING LAYOUT & ROW HOUSE
SUBMISSION DRAWING

NORTH: AS SHOWN
SCALE: AS SHOWN
DRAWING NUMBER: 1/3

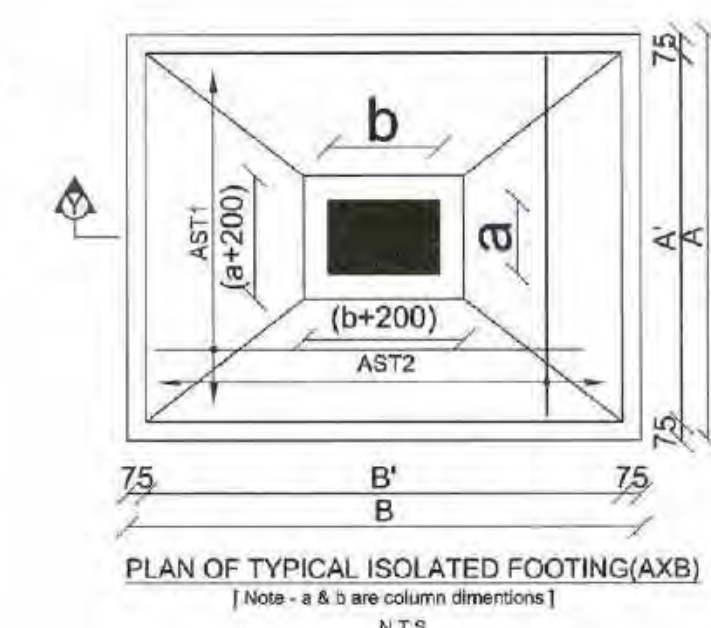
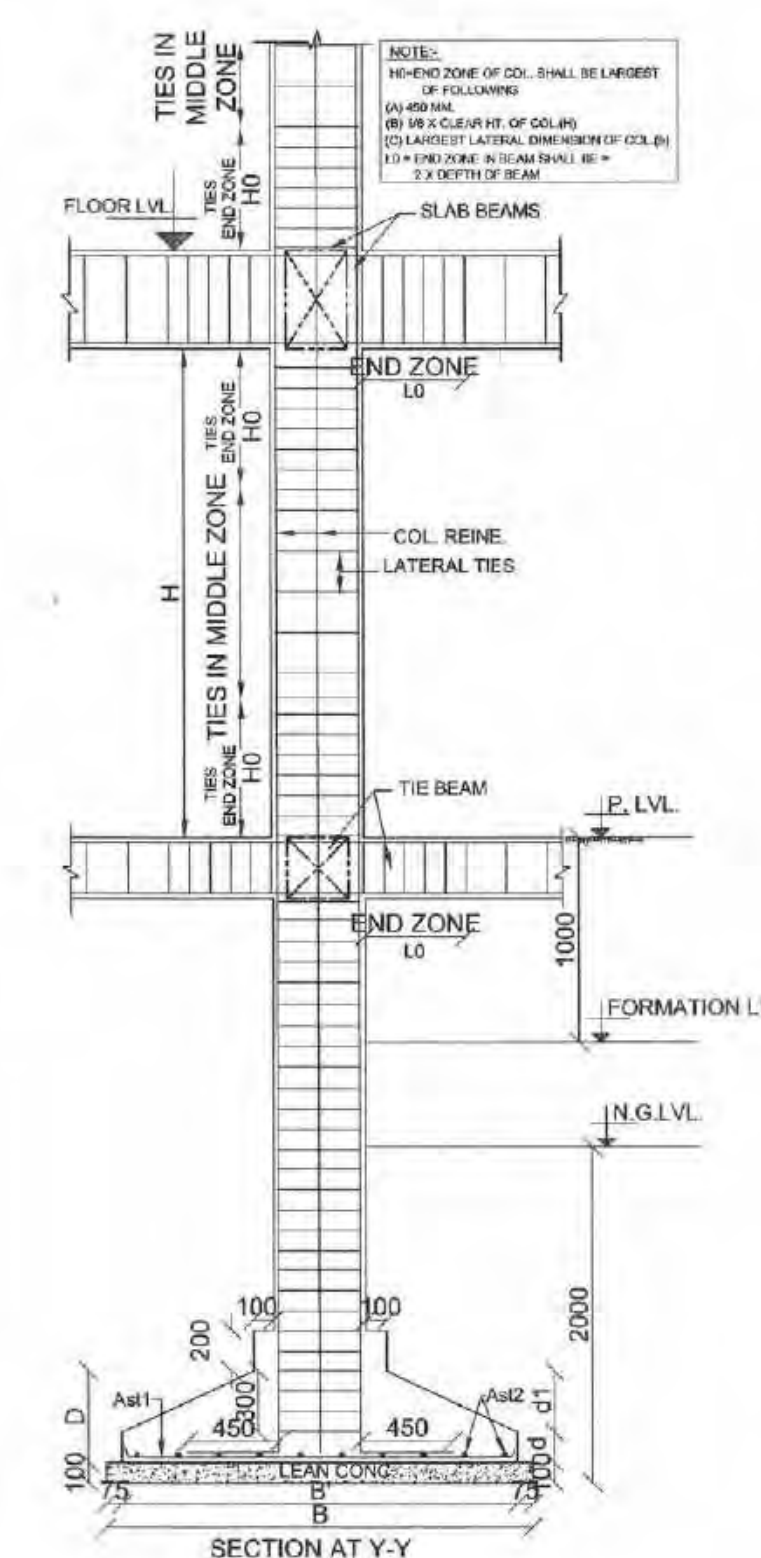
Owner's Sign
Architect's Sign

ROW HOUSE PLAN (TENTATIVE) FOR PLOT NOS.13 TO 66 & 92 TO 102

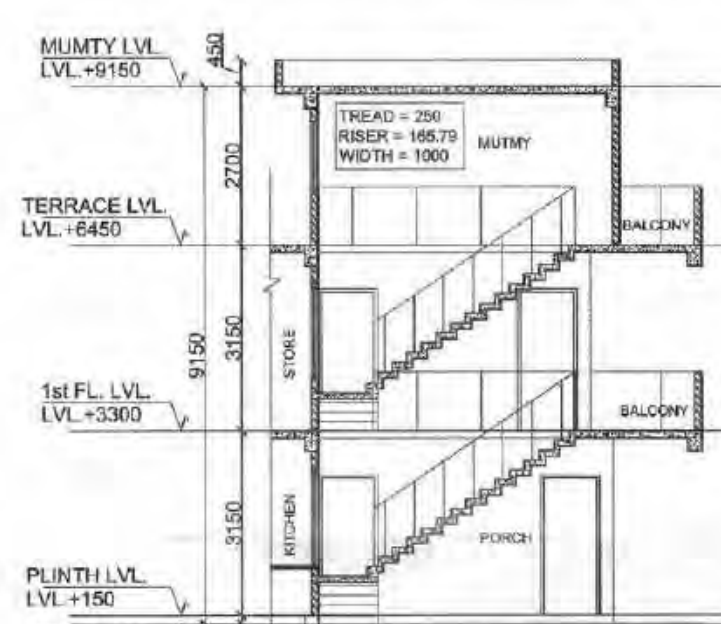
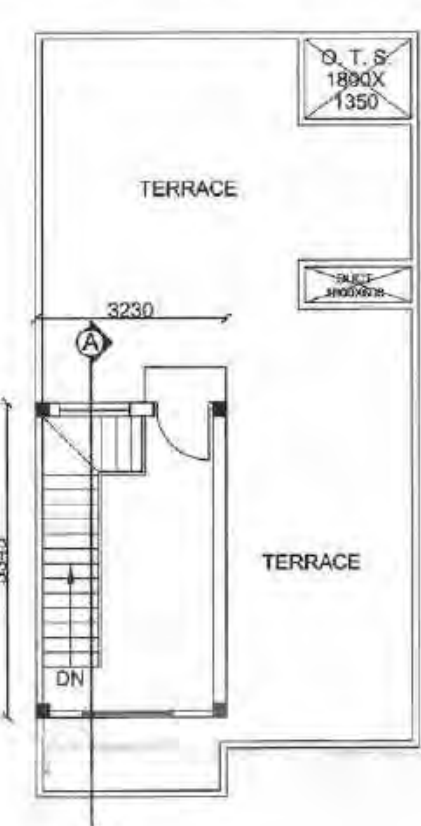
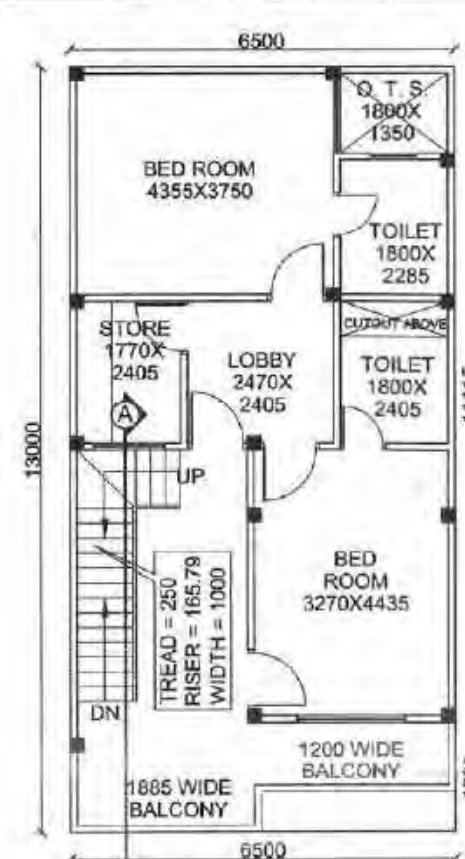
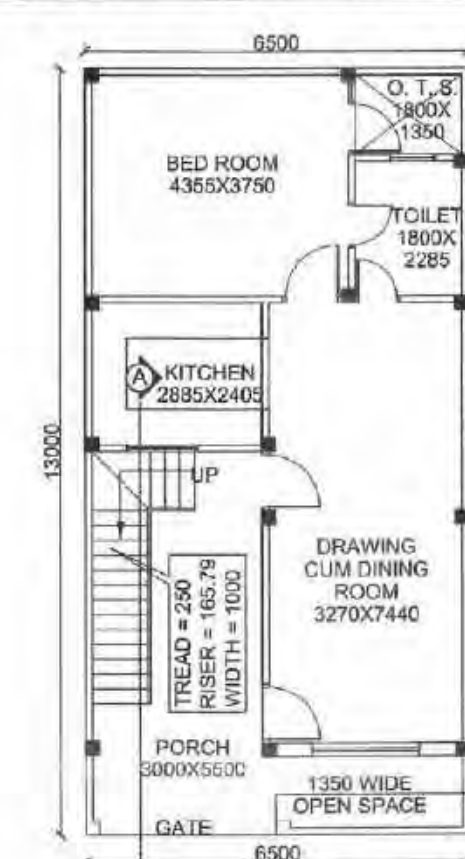


TYPICAL ROW HOUSE-02
PLOT AREA = 84.50 SQ.M.
PLOT SIZE = 6500X13000

PROJECT :
PROPOSED PLOTTING CUM
ROW HOUSE FOR
Mr. NARESH KUMAR AGRAWAL
S/O LATE Mr. R. L. AGRAWAL
ON KHASRA NO. 306, 307 & 313 AT
VILLAGE - ANAURA
VIKAS KHAND-CHINHAT,
TEHSIL - SADAR, LUCKNOW

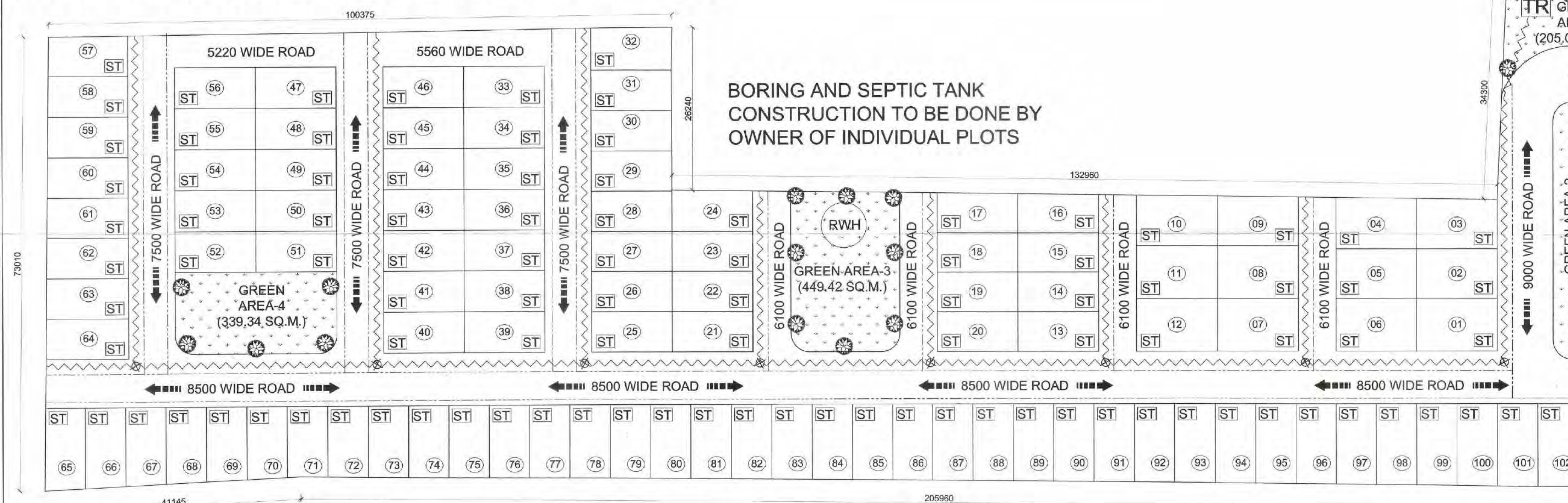


ROW HOUSE PLAN (TENTATIVE) FOR PLOT NOS.13 TO 66 & 92 TO 102



TYPICAL ROW HOUSE-02
PLOT AREA = 84.50 SQ.M.
PLOT SIZE = 6500X13000

NOTE : AS PER LOCATION, ENTRY CAN BE FROM LEFT OR RIGHT SIDE



BORING AND SEPTIC TANK
CONSTRUCTION TO BE DONE BY
OWNER OF INDIVIDUAL PLOTS

PLOTTING LAYOUT SERVICES PLAN

SCALE - 1:400

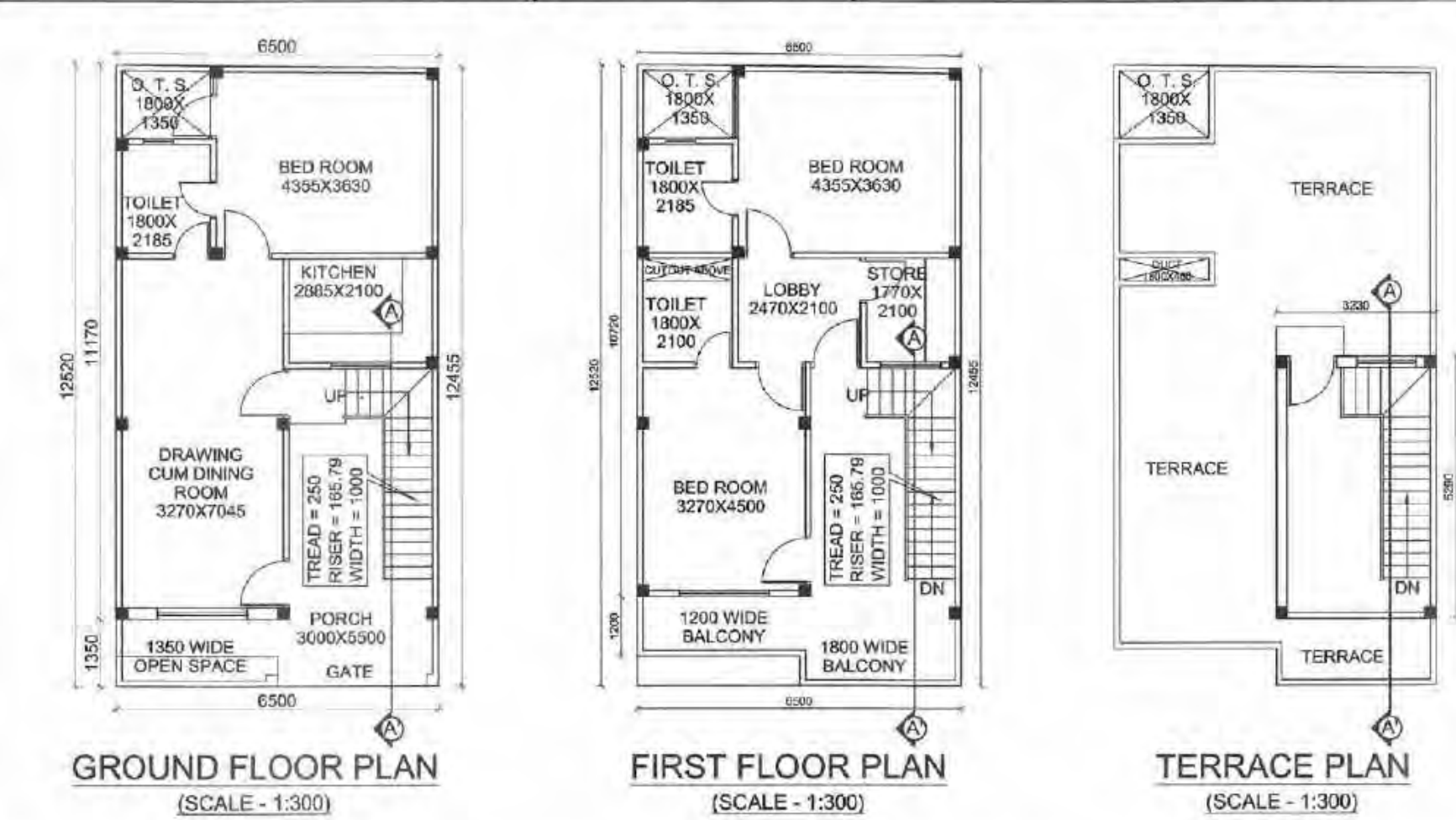


DRG. TITLE: PLOTTING LAYOUT SERVICES &
ROW HOUSE
SUBMISSION DRAWING

NORTH: 	SCALE: AS SHOWN	DRAWING NUMBER: 2/3
---	------------------------	----------------------------

 Owner's Sign	 Architect AMIT RAJ CA/2004/34150
---	--

ROW HOUSE PLAN (TENTATIVE) FOR PLOT NOS. 67 & 86 TO 91



TYPICAL ROW HOUSE-03
PLOT AREA = 81.16 SQ.M.

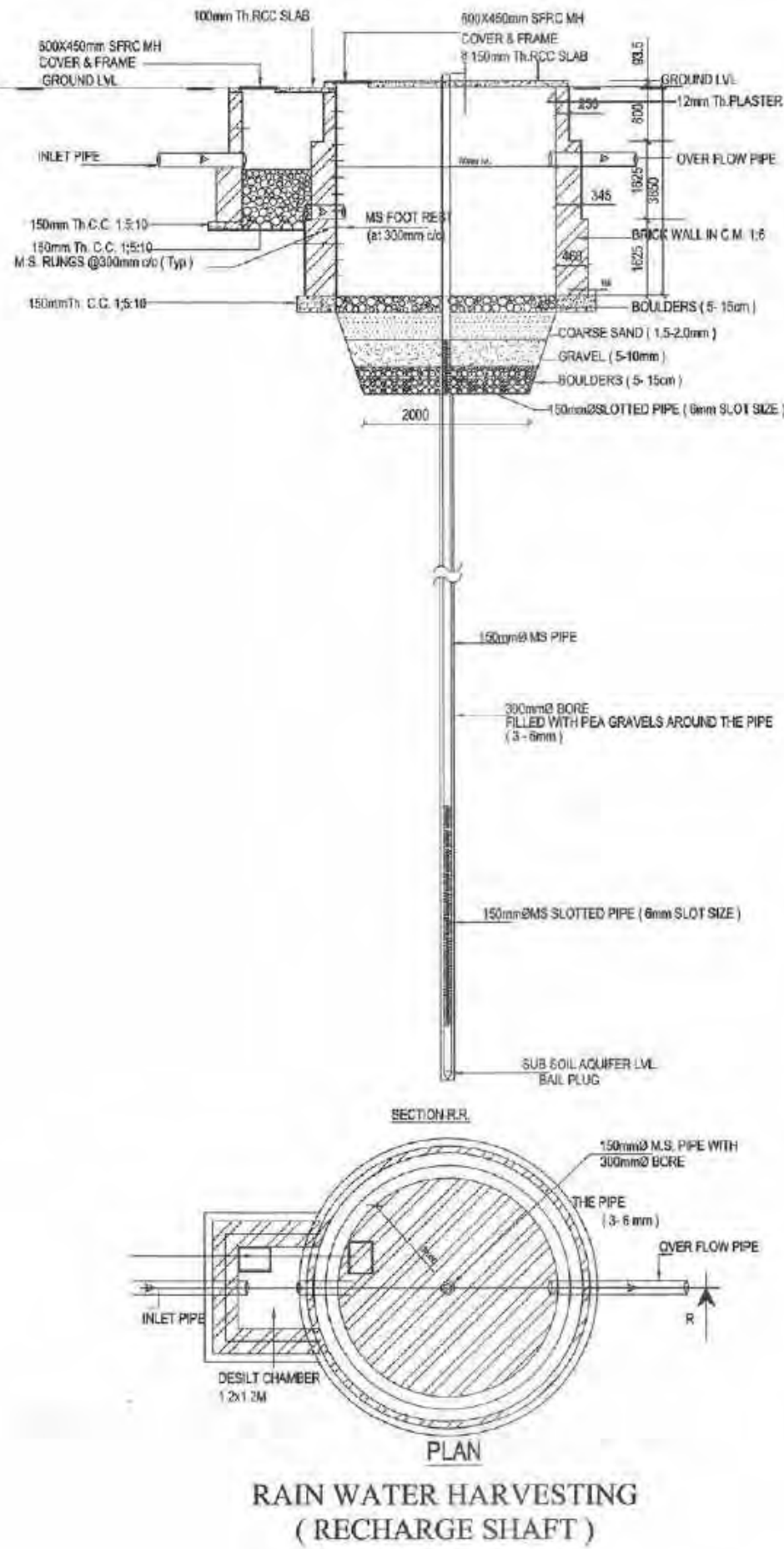
NOTE : AS PER LOCATION, ENTRY OF RESIDENCE CAN BE FROM LEFT OR RIGHT SIDE

PROJECT :
PROPOSED PLOTTING CUM ROW HOUSE FOR
Mr. NARESH KUMAR AGRAWAL
S/O LATE Mr. R. L. AGRAWAL
ON KHASRA NO. 306, 307 & 313 AT
VILLAGE - ANAURA
VIKAS KHAND-CHINHAT,
TEHSIL - SADAR, LUCKNOW

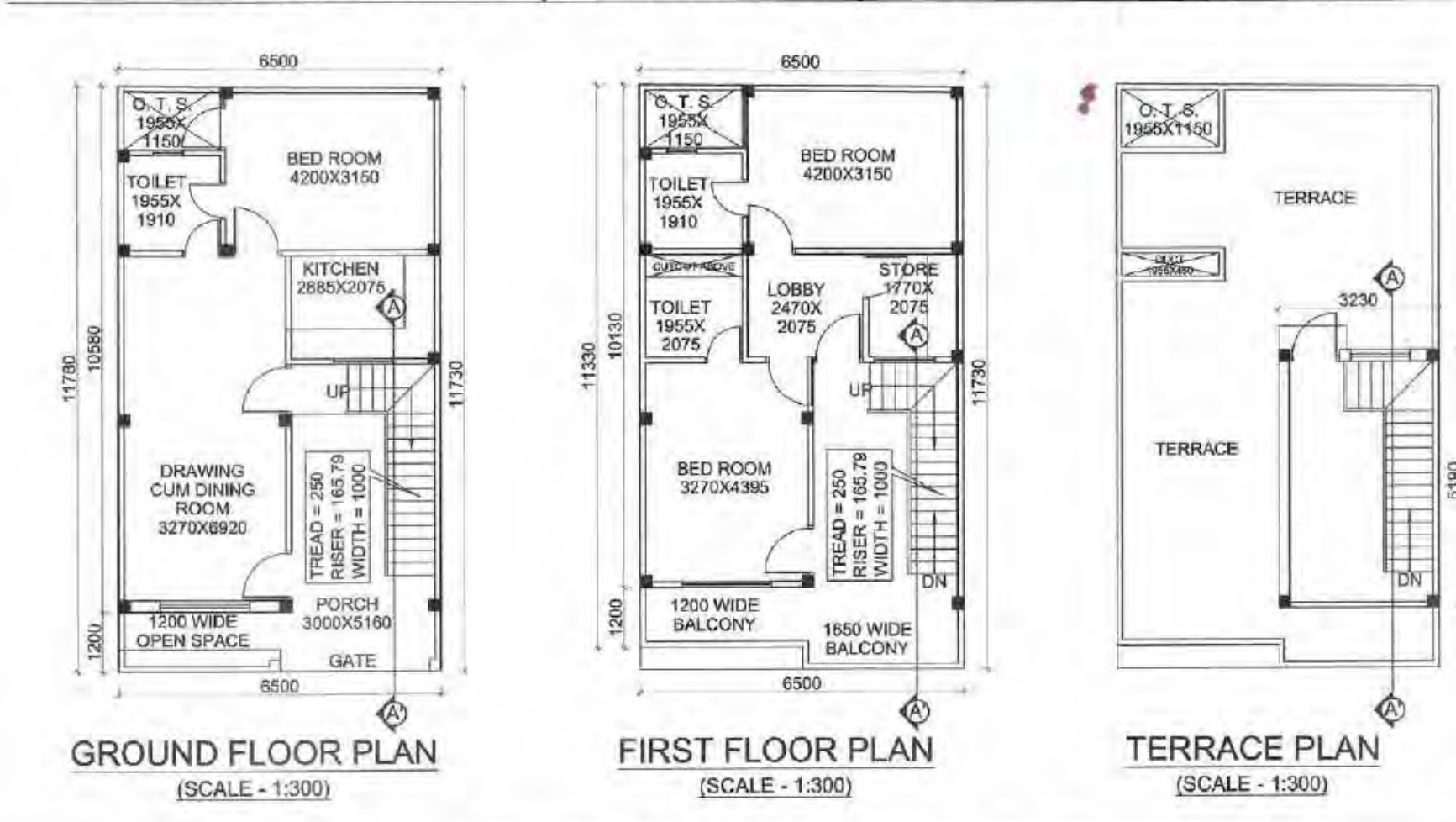
ROW HOUSE PLAN (TENTATIVE) FOR PLOT NOS. 67 & 86 TO 91



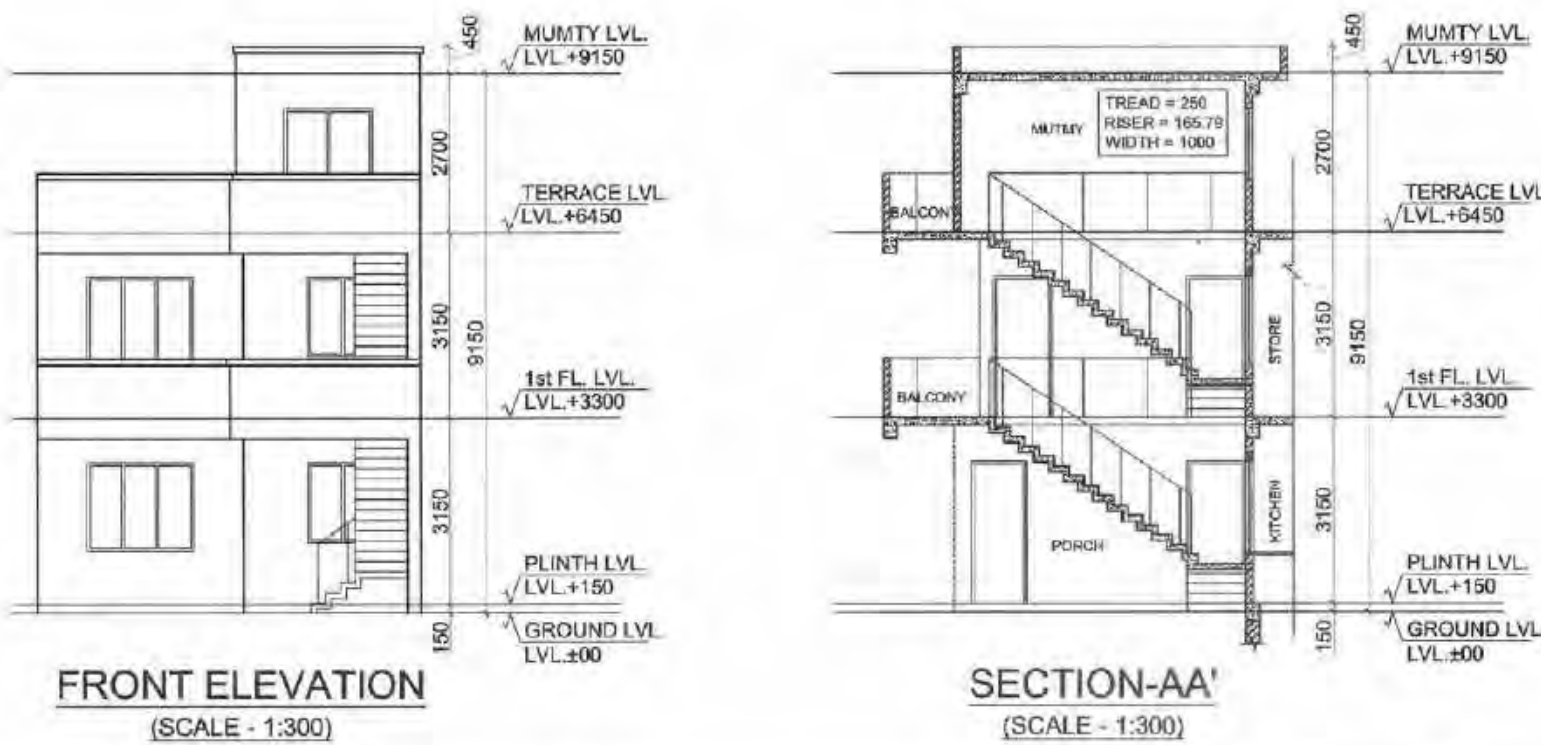
TYPICAL ROW HOUSE-03
PLOT AREA = 81.16 SQ.M.



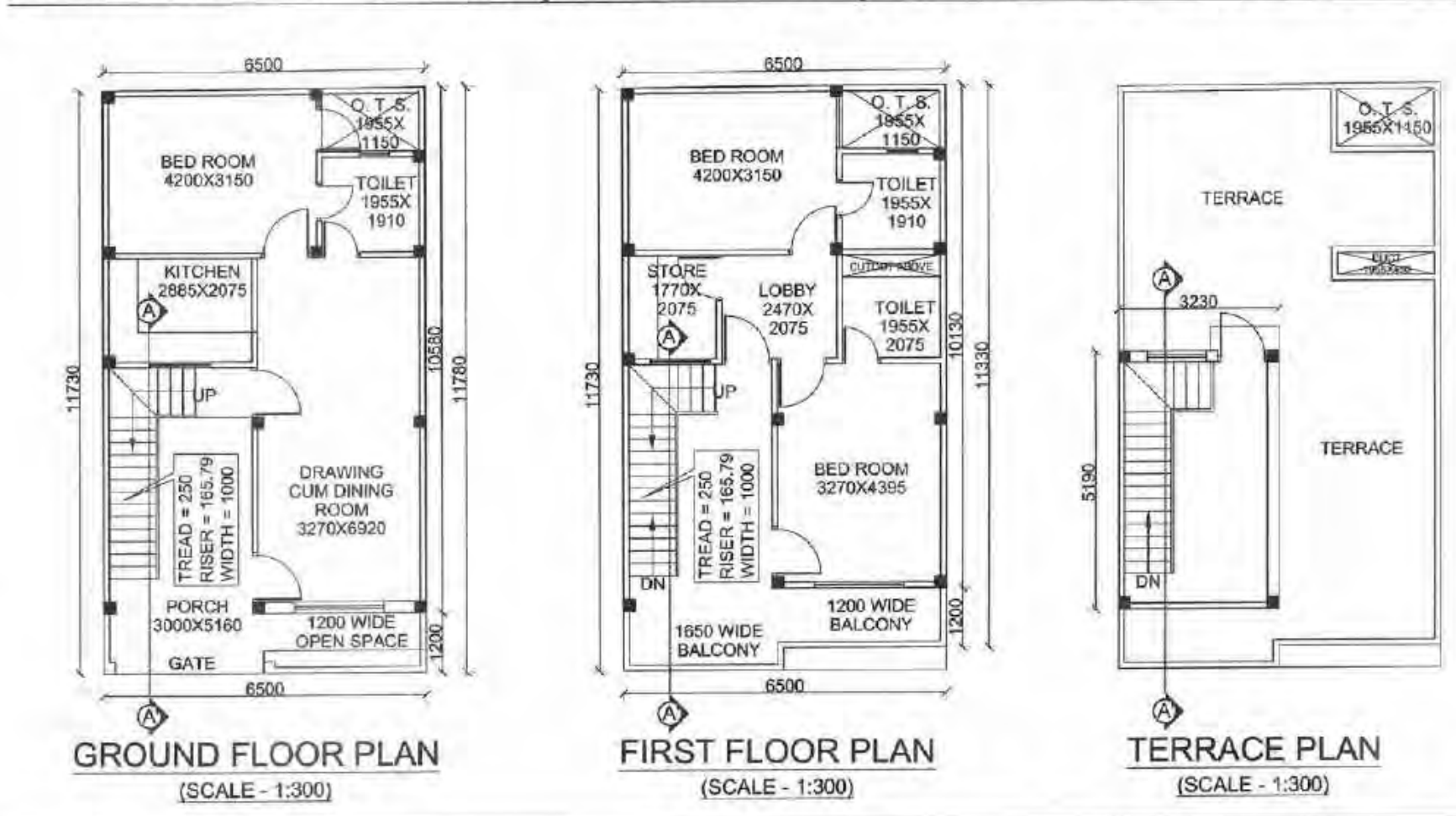
ROW HOUSE PLAN (TENTATIVE) FOR PLOT NOS. 68 TO 85



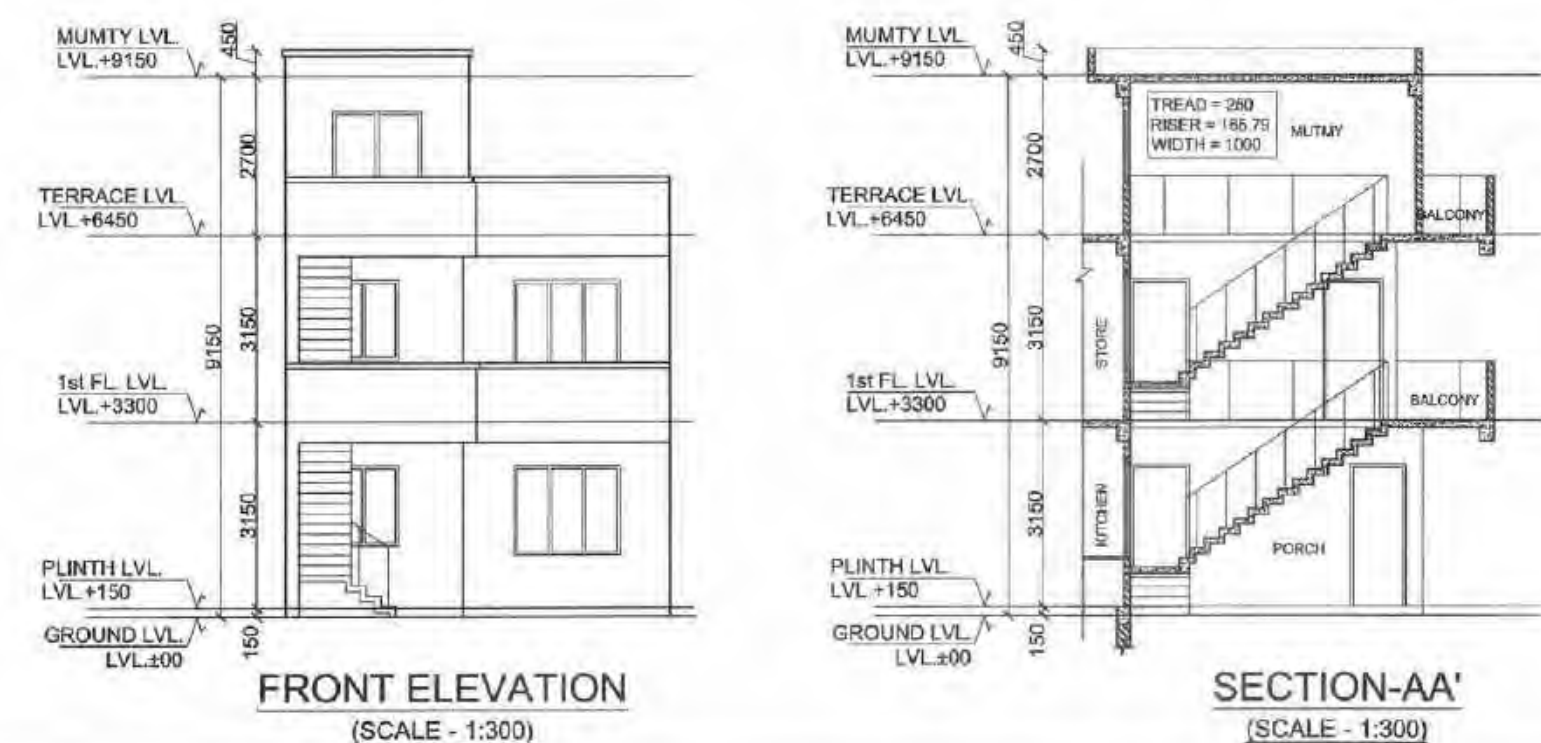
TYPICAL ROW HOUSE-04
PLOT AREA = 76.39 SQ.M.



ROW HOUSE PLAN (TENTATIVE) FOR PLOT NOS. 68 TO 85



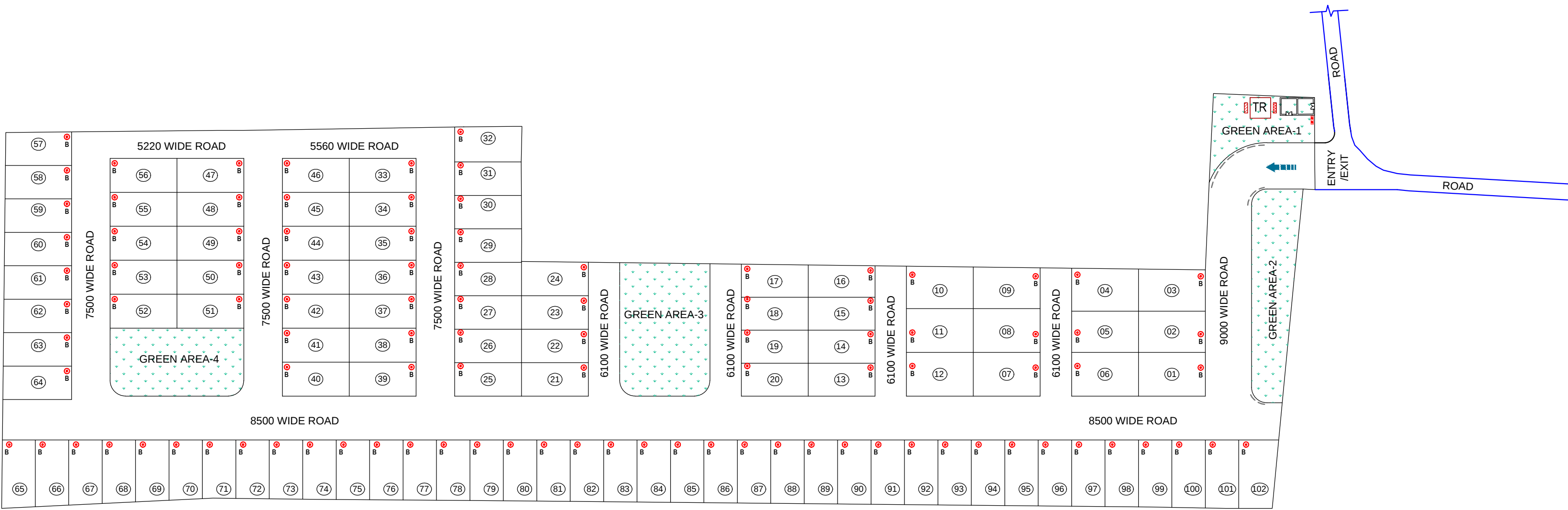
TYPICAL ROW HOUSE-04
PLOT AREA = 76.39 SQ.M.



DRG. TITLE: ROW HOUSE SUBMISSION DRAWING

NORTH: AS SHOWN SCALE: 1:300 DRAWING NUMBER: 3/3

Owner's Sign: [Signature] Architect's Sign: [Signature]



LAYOUT PLAN

LEGEND : WATER SUPPLY SYSTEM		
S. No.	SYMBOL	DESCRIPTION
1.		BORING
2.		

Drg. No.

RH/- ES-03

ROW HOUSE

.	.	.
.	.	.
rev. no.	date	revision

PROJECT

PROPOSED PLOTTING CUM ROW HOUSE FOR
Mr. NARESH KUMAR AGRAWAL
S/O LATE Mr. R. L. AGRAWAL
ON KHASRA NO. 306, 307 & 313
AT VILLAGE - ANAURA
VIKAS KHAND-CHINHAT,
TEHSIL - SADAR, LUCKNOW

JOB TITLE

LAYOUT PLAN

DATE

17 Aug-2021

SCALE

1:700

NORTH

☒ SUBMISSION

☐ INFORMATION

☐ APPROVAL

☐ CONSTRUCTION

DRG. TITLE

EXTERNAL WATER SUPPLY SYSTEM

SERVICES CONSULTANT

Shiv Sunder Constructions
& Consultants (P) Ltd.
5/763, Vikas Khand,Gomti Nagar,Lucknow
Mob No -9936190952
email : enggimate@gmail.com / rkumar1761@gmail.com

architects

Abhinyas Consultant
3/77, Viraj Khand, Gomti Nagar, Lucknow
C-53, Sector-M, Aliganj, Lucknow
MOB : 9839447965,9839097571